प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक–02.12.15 को संध्या करीब 06.30 बजे हिलसा थाना अन्तर्गत हिलसा बाजार स्थित विश्वजीत हार्डवेयर के दुकान पर पी0एल0एफ0आई0 के सशस्त्र अपराधियों द्वारा हमला बोलकर अजय कुमार को गोली मारकर हत्या कर दिया गया तथा विश्वजीत हार्डवेयर के मालिक विश्वजीत कुमार को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। मृतक अजय कुमार के पुत्र वादी रिषभ कुमार उर्फ ईशु के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. पी0एल0एफ0आई0 के गणेश शंकर 2. पटेल उर्फ लंगड़ा सा0–ढ़िबरीपर थाना–परवलपुर 3. मनोज महतो पिता अंकित नहीं सा0–बरियारपुर, थाना–चिकसौरा 4. छोटू उर्फ धर्मपाल सा0– चिकसौरा, थाना–चिकसौरा सभी जिला–नालंदा के विरूद्ध हिलसा थाना कांड सं0– 646/15, दिनांक–02.12.15 धारा–307/302/120(बी)/34 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट एवं 10(29)(1)/14/16/18/20 यू0ए0पी0ए0 एक्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया हैं।

गुप्त सूचना के आधार पर थरथरी थाना अन्तर्गत ग्राम बांसडीह में छापामारी कर इस घटना में शामिल पी0एल0एफ0आई0 के सदस्य सोनू कुमार पे0–श्यामसुंदर प्रसाद सा0–बांसडीह, थाना–थरथरी, जिला–नालंदा को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से निम्नांकित अवैध हथियार/गोली बारामद किये गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू कुमार ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए इस घटना में अपने अन्य सहयोगी 1. कुन्दन कुमार पे0–शिवनन्दन प्रसाद सा0–बांसडीह थाना–थरथरी जिला–नालन्दा एंव 2. छोटू उर्फ धर्मपाल सा0–चिकसौरा थाना–चिकसौरा जिला–नालन्दा का नाम अन्य प्राथमिकी अभियुक्तों के साथ बताया है।

1. गिरफ्तारी :– सोनू कुमार पे0–श्यामसुंदर प्रसाद सा0–बांसडीह थाना–थरथरी जिला–नालन्दा

2. बरामद सामान:–

1. देशी कट्टा:–	01 अदद
2. पिस्टल (मेड इन इटालियन लिखा हुआ):–	02 अदद
3. .315 बोर का जिंदा गोली:–	35 चक्र
4. .303 बोर का जिंदा गोली:–	70 चक्र
5. 7.62 बोर का जिंदा गोली:–	120 चक्र
6. पी0एल0एफ0आई0 का पर्चा:–	17 पीस
7. मोबाईल फोन:–	04 अदद।